



Neutral Citation No.- 2026:AHC-LKO:21361-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

खण्डपीठ लखनऊ

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 2517 वर्ष 2026

श्रीमती पूजा एवं अन्य

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: कुलदीप, नागेंद्र सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 11

माननीय न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन

माननीय न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव

1. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-विरोधी पक्षकार संख्या 1, 2 एवं 3 की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, विरोधी पक्षकार संख्या 4 से 8 को नोटिस जारी किए जाने से छूट दी जाती है।
3. यह रिट याचिका, विरोधी पक्षकारगण को याचिकाकर्तागण के शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करने, परिवार के सदस्यों को प्रताड़ित न करने तथा उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देने वाले एक परमादेश रिट की मांग करते हुए दायर की गई है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि दोनों याचिकाकर्तागण वयस्क हैं और उन्होंने स्वेच्छा से दिनांक 12.03.2021 को आर्य समाज, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, जानकीपुरम, लखनऊ में एक-दूसरे से विवाह किया है। विवाह प्रमाण पत्र की एक प्रति इस याचिका के संलग्नक संख्या 1 के रूप में संलग्न है। याचिकाकर्तागण के वयस्क होने के समर्थन में, याचिकाकर्ता संख्या 1 ने अपनी हाई स्कूल की अंकतालिका संलग्न की है, जबकि याचिकाकर्ता संख्या 2 ने आधार कार्ड की प्रति दाखिल की है, जिससे यह प्रकट होता है कि दोनों याचिकाकर्तागण वयस्क हैं। यह तर्क दिया जाता है कि विरोधी पक्षकार संख्या 4 से 8 इस विवाह से खुश नहीं हैं और इस प्रकार वे याचिकाकर्तागण के शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने शपथ पत्र द्वारा समर्थित याचिका में कहा कि दोनों याचिकाकर्तागण वयस्क हैं। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा है कि इस संबंध में याचिकाकर्तागण के विरुद्ध कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।
5. इस प्रक्रम पर, विद्वान शासकीय अधिवक्ता उल्लेख करते हैं कि पूर्व में दिनांक 29.04.2021 को थाना इटौंजा, जिला लखनऊ में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 366 के अंतर्गत प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा याचिकाकर्तागण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता संख्या 2 उसकी बहन को बहला-फुसलाकर ले गया है, जो अब याचिकाकर्ता संख्या 1 है। विद्वान शासकीय अधिवक्ता, श्री आर.एस. यादव, उप-निरीक्षक, थाना इटौंजा, जिला लखनऊ द्वारा प्रेषित निर्देश दिनांक 24.03.2026 के आधार पर आगे बताते हैं कि पर्यवेक्षी प्राधिकारी के समक्ष अंतिम रिपोर्ट दिनांक 20.12.2021 प्रस्तुत कर दी गई है और तत्पश्चात संबंधित न्यायालय को भेज दी गई है, लेकिन उसे अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. विद्वान शासकीय अधिवक्ता का उपरोक्त कथन अभिलिखित किया जाता है।
7. उक्त तथ्य न्यायालय को अधिक देर रोक नहीं सकता, क्योंकि याचिकाकर्तागण ने उनके विवाहित होने के आधार पर पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रत्यर्थीगण को परमादेश जारी करने की प्रार्थना की है।
8. इस संबंध में, माननीय उच्चतम न्यायालय के लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य- 2006 (5) SCC 475 के मामले में दिए गए निर्णय का उल्लेख करना उपयुक्त होगा, जिसमें शीर्ष अदालत ने प्रस्तर-17 में निम्नानुसार टिप्पणी किया है:-

"17. यह एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश है, और एक बार जब कोई व्यक्ति वयस्क हो जाता है, तो वह जिससे चाहे उससे विवाह कर सकता है। यदि लड़के या लड़की के माता-पिता ऐसे अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह को स्वीकार नहीं करते हैं, तो वे अधिकतम यह कर सकते हैं कि वे बेटे या बेटी से सामाजिक संबंध तोड़ सकते हैं, लेकिन वे धमकियाँ नहीं दे सकते या हिंसा के कृत्यों को अंजाम या बढ़ावा नहीं दे सकते और न ही उस व्यक्ति को प्रताड़ित कर सकते हैं जो ऐसा अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह करता है। इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि देश भर के प्रशासन/पुलिस प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि कोई वयस्क लड़का या लड़की किसी वयस्क महिला या पुरुष के साथ अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह करता है, तो उस जोड़े को किसी के द्वारा प्रताड़ित न किया जाए और न ही धमकियाँ या हिंसा के कृत्यों का शिकार बनाया जाए, तथा जो कोई भी ऐसी धमकियाँ देता है या प्रताड़ित करता है या हिंसा के कृत्य करता है, चाहे वह स्वयं करे या उसकी शह पर किया जाए, पुलिस द्वारा ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही शुरू करके उन्हें दंडित किया जाए और कानून के प्रावधानों के अनुसार ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।"
9. याचिकाकर्तागण ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत भी सुरक्षा की प्रार्थना की है, जो गरिमा के साथ अपना जीवन जीने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

10. उपरोक्त के दृष्टिगत, रिट याचिका को विरोधी पक्षकारगण को याचिकाकर्तागण के शांतिपूर्ण जीवन और स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप न करने का निर्देश देते हुए निस्तारित किया जाता है।
11. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि उपरोक्त टिप्पणी के अतिरिक्त इस विषय पर पहले से ही कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज है, तो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाएगा।
12. यद्यपि, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने याचिकाकर्तागण की आयु और न ही कथित विवाह की सत्यता/वैधता पर कोई विचार किया है और न ही उसका अधिनिर्णयन किया है।
13. याचिकाकर्तागण आज से दो महीने के भीतर "उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली, 2017" के तहत अपने विवाह का पंजीकरण कराएंगे।
14. संबंधित विवाह निबन्धक को निर्देश दिया जाता है कि वह कानून के अनुसार पूरी तरह से याचिकाकर्तागण के पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को पूर्ण कर शीघ्रता से जारी करें।

25 मार्च, 2026

पछैरे/-

(न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव) (न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।